अध्याय 15
मुनाफाखोरी–रोधी

[1][नियम 122 : प्राधिकरण का गठन

प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो; और

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त [A][कम से कम एक वर्ष के लिए] है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो।**]**

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 122 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था

"**नियम 122 : प्राधिकरण का गठन**

प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो(और

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त [A]**[**कम से कम एक वर्ष के लिए**]** है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो।"

A पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 34/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अंतःस्थापित।